

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 04.02.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 04.02.2026 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

1. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
2. श्री एल.आर. मीणा, सदस्य
शासन उप सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री सत्यपाल जांगिड़, सदस्य
मुख्य परिवीक्षा अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
4. श्री जगमोहन मित्रुका, सदस्य
उप विधि परामर्शी,
महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।


बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 98 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 98 प्राप्त प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-4 (ख)(ग) के तहत निम्नांकित बंदियों को पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा इन बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

(अ) सामान्य स्वीकृत प्रकरण

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	नैनाराम पुत्र वेलाजी	के.का.जोधपुर	-
2.	राणाराम पुत्र ठाकराराम	के.का.जोधपुर	-
3.	तरूण उर्फ तेजमल पुत्र रामलाल	के.का.कोटा	-
4.	अनुप पुत्र कन्दरू	के.का.जोधपुर	-



5.	राधेश्याम पुत्र रामलाल	के.का.बीकानेर	-
6.	राजूलाल उर्फ राघूलाल पुत्र बीरमलाल	के.का.कोटा	-
7.	सुरेन्द्र निठारवाल पुत्र पोखरराम	के.का.बीकानेर	-
8.	मनोहर लाल पुत्र शंकरलाल	के.का.बीकानेर	-
9.	सत्यप्रकाश उर्फ सत्तु उर्फ सत्यनारायण पुत्र जमनालाल	के.का.उदयपुर	-
10.	सुलेमान पुत्र शोकत अली शेख	के.का.उदयपुर	-
11.	गणेश दत्त पुत्र दुर्गाशंकर	के.का.कोटा	-
12.	श्रीमति सीमा पत्नी दुर्गाराम	म.बं.सु.जोधपुर	-
13.	कमल कांत पुत्र मुरलीधर	के.का.बीकानेर	-
14.	विजयसिंह उर्फ पपल्या पुत्र रामसिंह	वि.के.का.श्यालावास	-
15.	शाकिर हुसैन पुत्र रमाजानी खां	के.का.अलवर	-
16.	भानीराम पुत्र किरताराम	के.का.बीकानेर	-
17.	खीयाराम पुत्र पाबुराम	के.का.जोधपुर	-
18.	जशोदा बाई उर्फ यशोदा बाई पत्नी महावीर	म.बं.सु.कोटा	-
19.	रमेशचन्द्र पुत्र शान्तिलाल गोदा	के.का.उदयपुर	-
20.	अशोक कुमार विरमानी पुत्र श्रीमती कान्ता	के.का.जयपुर	-

(ब) ऐसे बंदी जिनकी आयु 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक, अविवाहित होने एवं अन्य राज्य के हैं, वे राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-3 (क)(ज)(ड) के तहत Ordinarily (साधारणतया) खुले शिविर में भेजे जाने के पात्र नहीं होंगे, का प्रावधान है। परन्तु इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में बंदियों द्वारा दायर एस.बी./डी.बी. रिट पिटिशन संख्या 1180/2010 काशीराम निर्णय दिनांक 04.05.2010, 8587/2011 गीता देवी निर्णय दिनांक 20.10.2011, 19884/2012 सोनू उर्फ रघुवेन्द्र निर्णय दिनांक 16.01.2013, 2501/2013 राणा उर्फ बिट्टू उर्फ रवि निर्णय दिनांक 08.04.2013, 2883/2013 दिनांक 27.02.2013 एवं 2167/2024 हंसराज पुत्र कल्याण, घनश्याम पुत्र हंसराज निर्णय दिनांक 17.01.2025 में दिये गये आदेशों की पालना में इन दण्डित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला हुआ है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में एक प्रकार के प्रकरण में एकरूपता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	वर्तमान कारागृह	टिप्पणी
1.	विजयपाल उर्फ लवली पुत्र महेन्द्र सिंह	वि.के.का.श्यालावास	-
2.	नरेश कुमार पुत्र डूंगरसिंह	के.का.उदयपुर	-
3.	अजय कुमार पुत्र डूंगरसिंह	के.का.उदयपुर	-
4.	पुनीया उर्फ पुनीलाल पुत्र पेमजी	के.का.जोधपुर	-


5.	महावीर सोनी पुत्र राजेन्द्र सोनी	के.का.बीकानेर	-
6.	नोपाराम उर्फ कन्हैयालाल पुत्र गोपीराम	के.का.बीकानेर	-
7.	ओमप्रकाश उर्फ विनोद पुत्र बाबूलाल	के.का.कोटा	-
8.	रामसिंह उर्फ लालसिंह पुत्र फुलसिंह	के.का.बीकानेर	-

1. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण:-

(अ) प्रतिबंधित धारा 376/377/पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्डित होने से:-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(घ) के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-


क्र.सं.	बंदी नाम	वर्तमान कारागृह	विशेष विवरण
1.	साहिल पुत्र अजीज अली	जि.का.जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376(3)आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। दिनांक 12.03.2025 को 15 दिवस एसटीडी/साक्षात्कार/कैंटीन सुविधा बंद किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित किया।
2.	जुम्मा पुत्र हामिद खान	वि.के.का. श्यालावास	3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
3.	अरविन्द पुत्र भगवान	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376(2), 376डी आई.पी.सी. में 10 वर्ष व 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
4.	रिंकू उर्फ राजु उर्फ रण्डवा पुत्र पप्पूराम	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376एबी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए अभिप्रेत) से दण्डित। बंदी 02 प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत नहीं)। बंदी को दिनांक 27.07.2025 को 15 दिवस बंदी पिकस/कैंटीन की सुविधा से तत्काल वंचित किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित।
5.	श्रीराम पुत्र परसाराम	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376(2-आई), 376(2-एन)आई.पी.सी.में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए अभिप्रेत) से दण्डित।
6.	महेन्द्र सिंह पुत्र बाबूराम	के.का.भरतपुर	3/4 पोक्सो एक्ट में आजीवन कठोर कारावास से दण्डित।



7.	हरिराम पुत्र गंगाराम	वि.के.का. श्यालावास	5(एम)/6 पोकसो एक्ट सपटि धारा 376(ए.बी) आई.पी.सी में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
8.	सांवरलाल पुत्र भैरूलाल	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376(3)आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
9.	पिंटू कुमार पुत्र श्रीभगवत सिंह	के.का.भरतपुर	प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
10.	मानसिंह पुत्र नारायणसिंह	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376(3)आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
11.	विनोद पुत्र हेमराज	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376एबी भादसं विकल्प धारा 5एम,एन/6 पोकसो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित।
12.	राहिल उर्फ टिल्लू पुत्र छुट्टू	के.का.अलवर	प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
13.	भार्गव उर्फ चिंटू उर्फ भागरम पुत्र कान्तिलाल	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित बंदी धारा 376एबी आई. पी.सी. अनुकल्पतः धारा 5(एम)/6 पोकसो एक्ट में आजीवन (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) कठोर कारावास से दण्डित।
14.	कृष्णवीर उर्फ कृष्णा मामा पुत्र किशोर सिंह	वि.के.का. श्यालावास	प्रतिबंधित धारा 376एबी आई.पी. सी. विकल्प धारा 5/6 पोकसो एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) से दण्डित।
15.	अजीज खां पुत्र गफुरशाह	के.का.जोधपुर	3/4(2), 5(आई)/6 पोकसो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
16.	गोंगाराम पुत्र नाथाराम	के.का.जोधपुर	3/4(2) पोकसो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
17.	दलपत सिंह पुत्र मोड़सिंह	के.का.उदयपुर	प्रतिबंधित धारा 376(3)आई.पी.सी. सपठित धारा 3/4(2) पोकसो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
18.	काला उर्फ कालू पुत्र प्रकाश	के.का.अलवर	5एल/6, 5एम/6 पोकसो एक्ट में 20वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

19.	संजय पुत्र लालचन्द बैरवा	के.का.कोटा	5(एल)/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
20.	अकरम पुत्र रसीद काजी	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 376(2)(एम), 376(3), 376एबी, विकल्प धारा 5(एच)(आई) (आर)/6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास से दण्डित।
21.	गजराज सिंह पुत्र हीरालाल	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 376(2)(जी) आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित। बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)। बंदी दिनांक 25.10.19 से 27.10.25 तक पैरोल से फरारशुदा।
22.	चरण सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद	के.का.जोधपुर	प्रतिबंधित धारा 376 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
23.	रमेश उर्फ बंटी पुत्र मंशीराम	वि.के.का. श्यालावास	5(एम)/6/18 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
24.	नैनगी बाई उर्फ चुन्नी बाई पत्नी राजकुमार	म.बं.सु. कोटा	16/17 पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
25.	सन्नी संरक्षक त्रिलोक नानी रामकन्या पुत्र नाना गुदराम	के.का.अलवर	3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
26.	बबलू पुत्र रामजीलाल	जि.का.धौलपुर	5(एम)/6 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
27.	नवल बैरवा पुत्र स्व. श्री हरिप्रकाश	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 5(एम)(एन)/18 पोक्सो एक्ट से 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
28.	विनोद कुमार पुत्र उमराव	के.का.अलवर	3/4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
29.	दिनेश कुमार उर्फ दिनिया पुत्र रोमीयाराम	के.का.जोधपुर	5(एम)/18, 9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष व 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
30.	योगेश सकसैना पुत्र मदनगोपाल	वि.के.का. श्यालावास	9(एम)/10, 9(एफ)/10, पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
31.	यतीश पुत्र लक्ष्मण	के.का.उदयपुर	9(एल)/10 पोक्सो एक्ट में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
32.	पांचाराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल	के.का.अजमेर	9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

5

K  K 

33.	सन्नी उर्फ हरिओम पुरी पुत्र यशपाल	के.का.अलवर	9(एम)/10, 11(i)(vi)/12 पोक्सो एक्ट में 05वर्ष व 03 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
34.	विरेन्द्र राव पुत्र रामप्रसाद राव	के.का.अजमेर	9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
35.	राजेश सैनी पुत्र नाथूलाल	के.का.जोधपुर	9(एन)/10 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

(ब) राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(ग)(घ)(च)(छ) के प्रावधानों के अंतर्गत जो अन्य प्रतिबंधित धारा, जेल दण्ड/फरारी/कदाचार(02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं), 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित, अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नहीं), आदि कारणों से प्रकरणों पर विचार कर साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से तथा एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

क्र.सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	गुरबचन सिंह पुत्र दलीप सिंह	के.का. श्रीगंगानगर	बंदी दिनांक 24.06.2019 को बं.खु.शि. हनुमानगढ़ से फरार, दिनांक 14.11.2023 को बं.खु.शि. जैतसर से फरार होकर दिनांक 07.12.2024 को जेल दाखिल किया गया।
2.	गौरीशंकर उर्फ शंकरलाल पुत्र बादामी लाल	के.का.जयपुर	बंदी दिनांक 29.09.2025 को बं.खु.शि.सांगानेर से फरार होकर बंदी को दिनांक 01.10.2025 को जेल दाखिल किया गया।
3.	गोरा उर्फ गुरा उर्फ अमनदीप पुत्र अमरजीत सिंह	के.का. श्रीगंगानगर	बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन है। दिनांक 19.01.2019 को बं.खु.शि. नरसिंहपुरा श्रीगंगानगर में अन्य बंदी की हत्या कारित कर फरार हो गया तथा दिनांक 06.04.2025 को जेल दाखिल किया गया।
4.	फुलचन्द पुत्र राधेश्याम	के.का.जयपुर	बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन है। बंदी दिनांक 10.09.2025 को बं.खु.शि. सांगानेर से फरार होकर बंदी को दिनांक 20.12.2025 को जेल दाखिल किया गया।
5.	शिवराज पुत्र रधुवरदयाल	के.का.जयपुर	बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन है।(जमानत पर) बंदी

			दिनांक 23.05.2025 को बं.खु. शि.सांगानेर से फरार होकर बंदी को दिनांक 01.07..2025 को जेल दाखिल किया गया।
6.	नयन पुत्र पन्नालाल सरगडा	के.का.अजमेर	अन्य प्रकरण में वांछित होने के कारण (जमानत जप्त)
7.	राजेश कुमार उर्फ पौलिया पुत्र रामचन्द्र	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 397 आई.पी.सी. में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
8.	विष्णुकुमार पुत्र महावीर प्रसाद	के.का. श्रीगंगानगर	बंदी 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन है। प्रतिबंधित धारा 394 आई.पी.सी में आजीवन कारावास से दण्डित।
9.	छोटाराम पुत्र शिवमाल उर्फ श्योमाल	के.का.बीकानेर	धारा 302 आई.पी.सी. में प्राकृतिक मृत्यु होने तक कठोर कारावास की सजा से दण्डित।
10.	रामफूल पुत्र नाथूलाल	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
11.	सुखपाल सिंह पुत्र परमजीतसिंह	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
12.	अजयपाल पुत्र गोपाल	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
13.	शंकर लाल पुत्र बलवंताराम	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
14.	बुधाराम जाट पुत्र जयरूप राम	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
15.	राजेन्द्र प्रसाद आर्य पुत्र अमरसिंह आर्य	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में 11 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
16.	पवन कुमार पुत्र केसराराम	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
17.	लालसिंह पुत्र नाहरसिंह	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
18.	जगदीप उर्फ दीपा पुत्र मोहिन्द्र सिंह	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
19.	दलजीतसिंह उर्फ जीता पुत्र अवतारसिंह जुलाहा	के.का.अजमेर	एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
20.	चन्द्रप्रकाश पुत्र सतराम आर्य	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
21.	राकेश पुत्र बाबूलाल	के.का.बीकानेर	प्रतिबंधित धारा 394, 392 आई.पी.सी. में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

K G B

22.	ओमप्रकाश पुत्र हनुमान प्रसाद	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
23.	महमूद उर्फ भोला पुत्र हुसैन	के.का.भरतपुर	बंदी 08 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन है। (03 प्रकरण में जमानत पर आजाद)
24.	कालुलाल पुत्र माधोलाल	के.का.कोटा	एनडीपीएस एक्ट में 06 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
25.	फिरोज उर्फ काउ पुत्र अब्दुल सलाम	के.का.कोटा	02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत नहीं)
26.	कृष्ण गोपाल पुत्र नौरत शर्मा	के.का.बीकानेर	एनडीपीएस एक्ट में 06 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
27.	रामसिंह पुत्र गोपाल सिंह	वि.के.का. श्यालावास	एनडीपीएस एक्ट में 06 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
28.	विशम्बर दास पुत्र सीताराम दास	के.का.जोधपुर	एनडीपीएस एक्ट में 06 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
29.	भूपेन्द्र सिंह उर्फ नाड्या पुत्र स्व. भवरसिंह	के.का.कोटा	प्रतिबंधित धारा 394/34 आई.पी.सी. में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। बंदी 02 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन प्रोडक्शन वारण्ट पर। (जमानत पर आजाद अंकित है।) उक्त एक प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट है।
30.	सत्यनारायण उर्फ सत्तु पुत्र नानुपुरी	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।
31.	देवीलाल पुत्र खेमराज	के.का.उदयपुर	एनडीपीएस एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित।

1. अग्रेषित प्रकरण का विवरण:-

क्र.सं.	बंदी का नाम वल्दियत	वर्तमान कारागृह	निर्णय का कारण
1.	रोहिताश उर्फ तीती पुत्र बालमुकुन्द	के.का.अलवर	अधीक्षक, के.का.अलवर की टिप्पणी अनुसार बंदी पूर्व की बैठकों में खुला बंदी शिविर में निकाला जा चुका है। बंदी के बं.खु.शि.अलवर में सजा भुगताये जाने के दौरान बंदी के अन्य वांछित प्रकरण में अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पेशी दिनांक 07.10.2025 को प्रोडक्शन वारण्ट को जे.सी. वारण्ट होने से बंदी को जेल दाखिल किया गया। प्रकरण में

			वर्तमान स्थिति का पूर्ण विवरण अधीक्षक, के.का.अलवर से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।
2.	अजय चौधरी पुत्र रामकुमार	उ.सु.का.अजमेर	बंदी के आपराधिक प्रकरणों की रिपोर्ट एवं आचरण की रिपोर्ट अधीक्षक, उ.सु.का.अजमेर से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।
3.	अमराराम पुत्र पेमाराम	के.का.उदयपुर	अधीक्षक, के.का.उदयपुर की रिपोर्ट में बंदी मानसिक रोग से ग्रसित है। अतः इस हेतु चिकित्सक का प्रमाण पत्र एवं बंदी के परिजनों द्वारा बंदी के भरण-पोषण व देखभाल का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।
4.	ताराचन्द पुत्र हमेरा गमेती	के.का.उदयपुर	अधीक्षक, के.का.उदयपुर की टिप्पणी अनुसार बंदी 01 अन्य प्रकरण में दण्डित है जिसमें सजा सेट ऑफ में समाप्त एवं जुर्माना सजा भुगताये जाना शेष है, के संबंध में वर्तमान स्थिति प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

(अशोक राठौड़)
अध्यक्ष
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर

(विक्रम सिंह)
सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर

(एल.आर.मीणा)
सदस्य
शासन उप
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान, जयपुर

(सत्यपाल जांगिड़)
सदस्य
मुख्य परिवीक्षा
अधिकारी
सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता
विभाग, राजस्थान,
जयपुर

(जगमोहन मित्रुका)
सदस्य
उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान, जयपुर